

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6-7 जा.दी.)

राजस्व लोक अदालत कैम्प भोली तहसील व जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी:- श्रीमति सुनीता यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :-31/2018 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री सुधीर पिता गुमानसिंह पीपाड़ा, उम्र बालिग निवासी जी-288, वैभवनगर-शास्त्रीनगर  
भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) -----वादी

बनाम

- 1-श्रीमति चांदी पुत्री नोजी पत्नि नारायण जाट, उम्र बालिग निवासी बीड़ का खेड़ा हाल नेवरिया तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ़ (राजस्थान)
- 2-श्रीमति देऊ पुत्री जानू देवी पत्नि मांगीलाल जाट, उम्र बालिग निवासी हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 3-श्रीमति उदी पुत्री जानू देवी पत्नि छोटूलाल जाट, उम्र बालिग निवासी सालरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 4-श्रीमति रामकन्या पुत्री जानू देवी पत्नि राजेश जाट, उम्र बालिग निवासी बड़ी हरणी तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 5-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा -----प्रतिवादीगण

वादी की ओर से श्री - एडवोकेट और प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से श्री - एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 30.5.2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि - और इस मद के खर्च लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि - को दी जायें।

न्याय हित में प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम गठीलाखेड़ा पटवार हल्का गठीलाखेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित निम्नांकित आराजियात विभाजन व हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उसी अनुसार भूमि विभाजन व हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

1-श्री सुधीर पिता गुमानसिंह पीपाड़ा, उम्र बालिग निवासी जी-288, वैभवनगर-शास्त्रीनगर भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) वादी के नाम निम्न भूमि हक व हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर

340/4

रकबा

1 बीघा

10 बिस्वा

लगान

-



कुल किता 1 रकबा

1 बीघा

10 बिस्वा लगान -

2-श्रीमति चांदी पुत्री नोजी पत्नि नारायण जाट, उम्र बालिग निवासी बीड़ का खेड़ा हाल नेवरिया तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान), श्रीमति देऊ पुत्री जानू देवी पत्नि मांगीलाल जाट, उम्र बालिग निवासी हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) श्रीमति उदी पुत्री जानू देवी पत्नि छोटूलाल जाट, उम्र बालिग निवासी सालरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) श्रीमति रामकन्या पुत्री जानू देवी पत्नि राजेश जाट, उम्र बालिग निवासी बड़ी हरणी तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के नाम निम्न भूमि हक व हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर

रकबा

लगान

340/2

-

15 बिस्वा

-

कुल किता 1 रकबा

-

15 बिस्वा लगान

-

उक्तानुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें।

(सुनीता यादव)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी,

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 30.5.2018 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी

की गयी ।

उपखण्ड अधिकारी,  
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा